

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पीएमसी/प्रशा0स्वी0-81/2016 राँची, दिनांक-.....

प्रेषक:

ई. मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के अधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार 22 अदद उद्वह सिंचाई योजनाओं के बाह्य विद्युत कार्य हेतु रू. 1,76,67,400.00 (रू. एक करोड़ छिहत्तर लाख सरसठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

2. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के अधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार 22 अदद उद्वह सिंचाई योजनाओं के बाह्य विद्युत कार्य हेतु रू. 1,76,67,400.00 (रू. एक करोड़ छिहत्तर लाख सरसठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त प्रस्ताव का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदत्त है।
4. लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा के अंतर्गत नोवामुण्डी एवं जगन्नाथपुर प्रखंड में निर्मित 22 अदद उद्वह सिंचाई योजनाओं का बाह्य विद्युत कार्य विद्युत प्रमंडल चाईबासा द्वारा कराया जाएगा।
5. यह कार्य Deposit Work के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।
6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा होंगे, जो स्वीकृत राशि की निकासी कर विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चाईबासा को विहित प्रक्रिया के द्वारा हस्तगत कराएँगे।
7. कार्य की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, चाईबासा जबाबदेह होंगे।
8. संबंधित कार्यपालक अभियंता, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यह भी सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृति राशि के अधीन ही कार्य कराया जाएगा।
9. संबंधित कार्यपालक अभियंता झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड योजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएँगे।

10. प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष-“4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य” अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।
11. प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. इन योजनाओं को वर्ष 2016-17 में पूर्ण किया जाएगा।
13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 राँची, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ प्रेषित।


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 राँची, दिनांक-.....
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 राँची, दिनांक-.....
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मॉनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा/अधीक्षण अभियंता विधुत आपूर्ति अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।




(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: आयुक्त कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

६०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

६०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/प्रशा०स्वी०-81/2016 ०२/१६-१७ ज. खी राँची, दिनांक-12.04.2016

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

११/०४/१६

L.I.Schemes List

(Amount in Lakh)

Sl.	Name of Schemes	Block	Amount	Remarks
1	2	3	4	5
1	L.I.Scheme Baskata	Noamundi	464876.00	
2	L.I.Scheme Param Baljodi-II	Noamundi	466599.00	
3	L.I.Scheme Param Baljodi-I	Noamundi	464876.00	
4	L.I.Scheme Unisai	Noamundi	464876.00	
5	L.I.Scheme Sindrigni-II	Noamundi	1098359.00	
6	L.I.Scheme Dudhbilla-II	Noamundi	464876.00	
7	L.I.Scheme Kotgarh-II	Noamundi	466599.00	
8	L.I.Scheme Gitilpee	Jagganathpur	1098359.00	
9	L.I.Scheme Siyaljora	Jagganathpur	1098359.00	
10	L.I.Scheme Mogara	Jagganathpur	466599.00	
11	L.I.Scheme Kumirta	Noamundi	1098359.00	
12	L.I.Scheme Bhangaon	Noamundi	678775.00	
13	L.I.Scheme kotgarh-I	Noamundi	466599.00	
14	L.I.Scheme Beterkia	Noamundi	1124199.00	
15	L.I.Scheme Dudhbilla-I	Noamundi	466599.00	
16	L.I.Scheme Mundui	Jagganathpur	1098359.00	
17	L.I.Scheme Sindrigni-I	Noamundi	1098359.00	
18	L.I.Scheme Bhrahmpur	Jagganathpur	889726.00	
19	L.I.Scheme khutiapada	Jagganathpur	1945910.00	
20	L.I.Scheme Dalposi-I	Jagganathpur	466599.00	
21	L.I.Scheme Turli	Jagganathpur	889726.00	
22	L.I.Scheme Putgaon	Jagganathpur	889726.00	
Total :-			17667314.00	
Say			17667400.00	

पत्रांक 02/16-17 ड.सी. दिनांक 12.04.2016

उप सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग

11/04/16